STOP CORONA:
Wash your hands
Wear Mask
Maintain Social Distance

GOVT. OF N.C.T. OF DELHI: DELHI JAL BOARD
OFFICE OF THE ASSISTANT COMMISSIONER (RR)
ROOM NO. 311-A, VARUNALAYA PHASE-II,
KAROL BAGH, DELHI-110005
PH.011-23519825,E-MAIL:-acrr.djb@gmail.com

No. F.1 (24)/AC (RR)/2021/ D-85

Dated:- 17-05-2021

The Secretary,
Union Public Service Commission,
Dhoul Pur House, Shahjahan Road,
NEW DELHI-110011.

Kind Attention: - Sh. Dheeraj Kumar Meena, Under Secretary (RR)

Subject: - Regarding copy of Gazette notifications of Recruitment Rules for the post of Security Officer in Delhi Jal Board.

Sir,

Please find enclosed herewith the copy of Gazette notification dated 26.03.2021 of Recruitment Rules for the post of **Security Officer** for necessary action and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

Sd/-

Encl: As above

(VILAS RAMPAL)
ASSTT. COMMISSIONER (RR)

Copy to:

1. Director (A&P): For information, please.
2. AC (B): Alongwith copy of above said notification for the post of **Security Officer** for record, necessary action and intimating this office, in case of any discrepancy in the RRs.
3. EE (EDP): Alongwith copy of above said notification the post of **Security Officer** to be uploaded on the website of Delhi Jal Board.

17/05/2021

ASSTT. COMMISSIONER (RR)

For n.a to upload it on the website of DJB as mentioned at S.No.3.

SUPERINTENDING ENGINEER (EDP)
Dy. No. 1008
Date 18/05/21

AE
Prog-I

18/5/2021
Md. Khalid
EE(EDP)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03042021-226361

SG-DL-E-03042021-226361

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120]	दिल्ली, बृहस्पतिवार , अप्रैल 1, 2021/ चैत्र 11, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 02
No. 120]	DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2021/ CHAITRA 11, 1943	[N. C. T. D. No. 02

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 मार्च, 2021

सं.फा. 16(576)/श.वि./डब्ल्यू/2016/619.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (एम) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी के दिनांक 25.09.2014 के आदेशों के अनुसार अनुमोदित तथा दिनांक 26 नवम्बर, 2015 के पत्र सं0 3/24(22)/2015–आरआर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सहमति से तथा दिनांक 01 अप्रैल, 1981 की अधिसूचना संख्या फा0 09/15/81–एलएसजी–2523 द्वारा अधिसूचित सुरक्षा अधिकारी के भर्ती विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बाते या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर दिल्ली जल बोर्ड में **सुरक्षा अधिकारी** के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :– इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड **सुरक्षा अधिकारी** भर्ती विनियम, 2021 कहा जाये।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं** :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– कोई भी व्यक्ति;

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है;

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. छूट प्रदान करने की शक्ति :– जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के पराम"ं पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव** :– इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनूसूची

1.	पदनाम	:	सुरक्षा अधिकारी
2.	पदों की संख्या	:	04 (2021)* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी "ख"
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (35,400–112400/–रुपये) (पूर्व संशोधन पे बैंड–2, 9300–34800 जमा ग्रेड पे 4200/–रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	**पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न होने पर सशस्त्र बल कर्मियों को पुनः रोजगार द्वारा।**
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	**पदोन्नतिः–** दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण संस्थान या किसी अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थान से अग्निशमन/आपदा प्रबंधन/सुरक्षा में दो सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले तथा ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–5 में (29,200–92,300/–रुपये) सहायक सुरक्षा अधिकारी। **टीपः–** (1)जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी

			अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। **टीपः**–(2) पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01जनवरी,. 2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। प्रतिनियुक्ति/सशस्त्र बल कार्मिक का पुनः रोजगार वे सशस्त्र बलकर्मी जिनके पास नायब सुबेदार की रैंक हो या सेवानिवृत्ति पर समकक्ष अथवा जिनका स्थानान्तरण आररिक्षत एक वर्ष की अवधि में होना हो और जो मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो उस तारीख से सशस्त्र बल से निस्तार करने तक प्रतिनियुक्ति शर्तों पर ऐसे कार्मिक भी विचारणीय होंगे। उसके बाद वे पुनः रोजगार शर्तों पर जारी रह सकेंगे। (सिविल पद के संदर्भ के साथ सेवानिवृत्ति की आयु तक पुनः रोजगार)
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	पदोन्नति हेतु विचारार्थ "ख" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति निम्न प्रकार होगीः 1. सदस्य (प्रशासन) – अध्यक्ष 2. निदेशक (ए एंड पी) – सदस्य 3. निदेशक (राजस्व)– सदस्य श्रेणी 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचारार्थ) 1. सदस्य (प्रशासन) – अध्यक्ष 2. निदेशक (ए एंड पी) – सदस्य 3. निदेशक (राजस्व)– सदस्य
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	इन विनियमनों में किन्हीं प्रावधानों को संशोधित/शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाये।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विकास गोयल, उप सचिव (जल)